कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)
झारखण्ड, राँची।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, (पशुपालन प्रभाग) अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण किए जाने से संबंधित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता के चयन सह सूचीबद्ध करने हेतु

जोड़ा बैल वितरण हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को खेती करने के लिए बैल की आवश्यकता तथा कृषि कार्य में उन्नति लाने के उद्देश्य से Castrated नर बाछाओं का जोड़ा बैल के रूप में राज्य के सुदुरवर्ती क्षेत्रों में वितरण करने की योजना है, जिससे कि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग हो सके तथा अधिक मुनाफा हो सके।

उक्त के आलोक में राज्यादेश संख्या–01 रा० (वि०) दिनांक–27.04.2023 के अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों में राज्य योजनान्तर्गत जोड़ा बैल वितरण योजना के अन्तर्गत जोड़ा बैल चयनित एवं अनुसंशित लाभुकों को योजनान्तर्गत दिए गए राशि की अधिसीमा में उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के निमित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को सूचिबद्ध किए जाने हेतु पशुपालन निदेशालय इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता से वर्णित पात्रता मापदण्ड में आवेदन की मांग करता है:–

कार्यक्षेत्र :– झारखण्ड के सभी जिलें।

निदेशालय :– पशुपालन निदेशालय, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची–834003 में वर्णित योजनान्तर्गत लक्ष्य के द्वारा है।

1. <u>**जोड़ा बैल योजना की विवरणी :–**</u> योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

(क) देशी नस्ल का बैल।

(ख) बैल की उम्र 2 से 3 वर्ष।

(ग) बैल रोग मुक्त, HS & BQ तथा FMD रोग से बचाव हेतु टीकाकृत होना चाहिए।

(घ) जोड़ा बैल वितरण से पूर्व स्वास्थ्य की जाँच संबंधित जिला के पशु शल्य चिकित्सक के द्वारा की जाएगी।

(ड.) योजना 90% अनुदान पर संचालित होगी। लाभुक को 10% राशि अपने स्तर से देना होगा।

(च) अनुदान बाजार समिति अर्न्तगत क्रय–विक्रय हेतु निर्धारित दर अथवा अधिकतम निर्धारित दर (दोनों में से जो कम हो) का 90% देय होगा।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	विवरणी	अनुमानित व्यय
1	जोड़ा बैल (प्रति बैल अधिकतम रू० 20,000/– की दर से)	40,000/–
2	**Quarantine Period Cost**	**To be borne by the agency**

Physical Details (लक्ष्य)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत जिलावार जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य

Sl No	Districts	Total
1	पलामू	26
2	गढ़वा	26
3	हजारीबाग	26
4	रामगढ़	24
5	चतरा	24
6	कोडरमा	24
7	गिरिडीह	26
8	बोकारो	26
9	धनबाद	24
10	गोड्डा	24
11	देवघर	26
Total		276

वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनजातिय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत जिलावार जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य

Sl No	Districts	90 प्रतिशत अनुदान पर जोड़ा बैल वितरण करने के लिए लाभुकों का लक्ष्य
1	राँची	20
2	खूँटी	20
3	गुमला	20
4	सिमडेगा	20
5	लोहरदगा	22
6	चाईबासा	22
7	सरायकेला	20
8	जमशेदपुर	22
9	लातेहार	22
10	दुमका	22
11	जामताड़ा	22
12	साहेबगंज	22
13	पाकुड़	22
Total		276

"इच्छा की अभिव्यक्ति" को निम्न पते पर भेजें

निदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, पशुपालन भवन, हेसांग, हटिया, राँची पिन कोड–834003

इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त पते पर कार्यालय में हाथों–हाथ से एवं डाक द्वारा तथा एक प्रति ई–मेल (ahdjharkhand@gmail.com) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" दस्तावेज प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि : 14.09.23 समय 05 बजे तक।
"इच्छा की अभिव्यक्ति" दस्तावेज प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 29.09.23 समय 05 बजे तक।
"इच्छा की अभिव्यक्ति" जमा करने की अन्तिम तिथि : 03.10.23 समय 05 बजे तक।
"इच्छा की अभिव्यक्ति" के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को खोलने की तिथि: 04.10.23 समय 03 बजे
इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज शुल्क :– Non Refundable **Bank Draft** of **Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand only)** in favour of "Director Animal Husbandry, Government of Jharkhand" payable at Ranchi
"सर्वकालिक इच्छा की अभिव्यक्ति" प्रपत्र विभागीय बेबसाईट **http://jharkhand.gov.in/agriculture or http://animalhusbandry.jharkhand.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

पात्रता मापदंड–

1. झारखण्ड राज्य में न्यूनतम 10 डिसमिल स्थल/भूखण्ड (खुद के नाम पर/मुखिया द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र/भूखण्ड लीज पर होने की स्थिति में भू–स्वामी के साथ नोटरी अनुबंध एवं एकरारनामा) उपलब्ध हो। 10 डिसमिल फार्म के लिए 1:3 शेड व 2:3 खुला स्थान की व्यवस्था परिसम्पति के लिए होनी चाहिए।
2. फार्म में बैल के साथ आपूर्त्तिकर्त्ता का Geo Tagging Photograph होना आवश्यक है। जाली फोटोग्राफ/दस्तावेज प्राप्त होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।
3. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का नोटरी पब्लिक के द्वारा Affidavit कराकर देना होगा कि संस्था या उनके सदस्यों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नहीं है एवं विगत 10 वर्षों से फर्म को किसी विभाग सहित पशुपालन विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी है।
4. आपूर्तिकर्ता के पास आवश्यक Quarantine, Vaccination, Identification इत्यादि कार्य हेतु नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. आपूर्तिकर्ता को वर्णित अधिसीमा के अन्दर ही परिसम्पत्ति वितरण करने हेतु For Destination संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा वर्णित कार्य किसी अन्य एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को सबलेट (अपने आलावा दूसरे को) नहीं किया जाएग। इस आशय का घोषणा पत्र नोटरीकृत हलफनामा के रूप में देना होगा।
7. Income Tax Return न्यूनतम एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) का होना चाहिए ।
8. पैन नं० एवं जी०एस०टी० (संबंधित फर्म का) (जहाँ लागू हो) तथा अन्य रजिस्ट्रेशन नं० प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. बैल आपूर्ति के संबंध में अनुभव प्रमाण–पत्र (Experience Certificate) /क्रय–विक्रय विपत्र/अभिश्रव (Invoice) होना चाहिए।

अन्य नियम एवं शर्तें:-

1. फर्म में बैल के भोजन, पानी हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। बीमार या बाहरी पशु के संगरोध (Quarantine) के लिए स्थान होना अति आवश्यक है।

2. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किए गए कार्य संतोषप्रद एवं गुणवतायुक्त नहीं होने की स्थिति में उनके चयन को रद्द करते हुए काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई की जाएगी एवं अगले तीन वर्षों तक पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

3. इस योजनान्तर्गत सूचीवद्ध एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था द्वारा जोड़ा बैल वितरण हेतु संबंधित जिला के लाभुकों को उनके घर तक उपलब्ध कराना होगा।

4. आपूर्त्तिकर्त्ता एवं लाभुक के बीच आपसी विमर्श के द्वारा जोड़ा बैल का मूल्य निर्धारण किया जाएगा लेकिन किसी भी परिस्थिति मे संबंधित स्वीकृत्यादेश अन्तर्गत योजना में अंकित अनुमानित मूल्य से अधिक अंकित नहीं होना चाहिए।

5. उक्त जोड़ा बैल वितरण के पूर्व दौरान सभी अनिवार्य टीकाकरण आदि कार्यों में होने वाले व्यय की वहन की जिम्मेवारी चयनित ऐजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी।

6. चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को योजना में वर्णित विशिष्ठियों के अनुरूप बैल की आपूर्ति गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादन करने निमित पशुपालन निदेशालय के साथ 100/- रू० के Stamp Paper पर बैल आपूर्त्ति से संबंधित एकरारनामा करना होगा।

7. प्रत्येक माह में किए गए कार्यों का भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन चयनित इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं एक प्रति निदेशालय में ई-मेल (ahdjharkhand@gmail.com) द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

8. निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची को किसी भी समय बिना कारण बताए "इच्छा की अभिव्यक्ति" रद्द करने का अधिकार होगा।

9. जिन अभिलेखों/दस्तावेजों की मांग की गई है, उन्ही अभिलेखों/दस्तावेजों को स्पाइरल बाइडिंग एवं पृष्ठाकंन (पेजिंग) Indexing किया हुआ होना चाहिए अन्यथा यह स्वीकार नहीं होगा।

10. "इच्छां की अभिव्यक्ति" की सभी दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफा में भरकर निदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को संबोधित प्रस्ताव डाक/हाथों हाथ प्राप्त किया जायेगा।

11. केवल पात्रता मापदंड में मांगे गए दस्तावेज ही मान्य होंगे।

लिफाफे के ऊपर एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम, पता, इच्छा की अभिव्यक्ति का फार्म नंबर एवं जमा करने की तिथि अवश्य दर्ज होनी चाहिए।

निदेशक, पशुपालन

झारखण्ड राज्य में राज्य योजनान्तर्गत संचालित जोड़ा बैल वितरण योजना की आपूर्त्ति के लिए एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था के चयन हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आवेदन पत्र :–

सेवा में,

निदेषक,
पषुपालन प्रभाग
झारखण्ड, राँची।

महाशय,

(एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/कम्पनी/आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था का नाम) .... अपना पूर्ण विवरण देते हुए झारखण्ड राज्य में जोड़ा बैल वितरण हेतु आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ :–

क्र०	विवरणी	संलग्न दस्तावेज (हाँ/ना)	दस्तावेज का ब्यौरा	पृष्ठ संख्या
1	आवेदनकर्त्ता का नाम एवं पूर्ण पता			
2	जिला का नाम जिसके लिए संस्था/ एजेन्सी सूचीबद्ध होना चाहते हैं (एक से अधिक)			
3	झारखण्ड राज्य में फार्म सम्बंधित साक्ष्य			
4	Geo tagging Photographs संबंधित साक्ष्य			
5	बैल वितरण से संबंधित कार्य अनुभव/ क्रय–विक्रय विपत्र/अभिश्रव (Invoice) का व्यौरा।			
6	कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक Quarantine-Vaccination & Identification संबंधित नोटरी शपथ पत्र			
7	आयकर रिटर्न न्यूनतम एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23)			
8	पैन नं० एवं जी०एस०टी० नं० (संबंधित फर्म का) से संबंधित साक्ष्य (जहाँ लागू हो)			
9	अन्य रजिस्ट्रेशन नं० संबंधित साक्ष्य			
10	एजेन्सी/संस्था को नोटरी हलफनामा देना होगा कि संस्था/उनके सदस्यों के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला/नाम काली सूची में दर्ज नहीं है एवं उसके द्वारा दी जानेवाली सभी जानकारी सही है			
11	आपूर्त्तिकर्त्ता को बैल के वितरण हेतु लाभुकों को उनके घर तक उपलब्ध कराने संबंधी For Destination नोटरीकृत शपथ पत्र।			
12	आपूत्तिकर्त्ता द्वारा किसी अन्य आपूर्त्तिकर्त्ता को सबलेट नहीं करने संबंधी घोषणा नोटरी हलफनामा के रूप में देना होगा			

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–क

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत जिलावार जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	90 प्रतिशत अनुदान पर जोड़ा बैल वितरण करने के लिए लाभुकों का लक्ष्य
1	पलामू	26
2	गढ़वा	26
3	हजारीबाग	26
4	रामगढ़	24
5	चतरा	24
6	कोडरमा	24
7	गिरिडीह	26
8	बोकारो	26
9	धनबाद	24
10	गोड्डा	24
11	देवघर	26
कुल		**276**

वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत जिलावार जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	90 प्रतिशत अनुदान पर जोड़ा बैल वितरण करने के लिए लाभुकों का लक्ष्य
1	राँची	20
2	खूँटी	20
3	गुमला	20
4	सिमडेगा	20
5	लोहरदगा	22
6	चाईबासा	22
7	सरायकेला	20
8	जमशेदपुर	22
9	लातेहार	22
10	दुमका	22
11	जामताड़ा	22
12	साहेबगंज	22
13	पाकुड़	22
कुल		**276**

सरकार के सचिव